

तारीख
हुक्म

हुक्म की कार्यवाही इनिशियल्स जज

22⁶/₁₇

आज पत्रावली राजस्व लोक कदालत -
आमिथान न्याय आपड़े आर 7017 कैम्प
गदपुरा में प्रजुस हुई. गजद के आर में
सुनवाई की गई तथा पत्रावलियों का अर्थ
लिखा। प्रार्थी के पक्ष के दिनांक 5.7.16 को
एक पक्षीय अंतर्देश अल्वाई निर्देशाज्ञा क्रि.सं.
अ.प्र.सं.गण इस अर्थ में जारी किया है कि -
वे दिनांक 21.7.16 तक वि.आ.सं. नं. 331/094 को
आर रायपुरा सुई तहसील नगर में प्रार्थी के खिलाफ
1/3 में प्रार्थी के कब्जे तहत के किसी प्रकार रखे
न हों जोरने बोलने से न रोके। सुलायिक
राजस्व अमिलख प्रार्थी द्वारा वि.आ. नं. 1/3
खिलाफ का रिकॉर्ड उपरोक्त कार्रवाई है कि
प्रथम दृष्टया प्रकृत सुविधा का संतुलन ले
अर्थगत इति प्रार्थी के पक्ष में लायिक हो
अरु अर्थना पत्र स्वीकार किया जाता है
तथा दिनांक 5.7.16 को जारी अंतर्देश -
अल्वाई निर्देशाज्ञा की प्रार्थी द्वारा के
निर्दिष्ट होने तक की जारी हो पत्रावलियों
के हल सुपाट एकट याकेल प्रकृत है।

(निर्देशन लाल शर्मा)